© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 01 | January - March 2023

खाप पंचायत एवं सामाजिक न्याय व्यवस्था

REETU
Assistant professor, Political science
R.K.S.D.(P.G) College

सारांश

जाट और खाप एक दूसरे के माध्यम से अपनी पहचान दर्शाते हैं। उनकी पहचान का तीसरा आयाम गोत्र है। आधुनिक समय में भी गोत्र, जाट और खाप भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में अविभाज्य हैं। ये तीन घटक प्राधिकरण और शक्ति के लिए एक रेखीय संरचना बनाते हैं। बदलते परिदृश्य के साथ ये संस्थाएं उन लोगों के लिए भी बदल गई हैं जिनके लिए वे बनी हैं और जिनके लिए काम करती हैं। खाप पंचायतें निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं क्योंकि वे ध्वन्यात्मक मानदंडों से विकसित हुई हैंखाप या सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों यथा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थाएं हैं पाल, गण, गणसंघ, सभा, समिति, जनपद अथवा गणतंत्र। समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है, यदि ऐसा न किया जावे तो स्थापित मान्यताये, विश्वास, परम्पराए और मर्यादाएं ख़त्म हो जावेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा। समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचलन में है। इसी अधार पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।

कीवर्ड: खाप पंचायत। गोत्र बहिर्विवाह नियम। जाट। पहचान। शक्ति। जाति। अंतर्जातीय विवाह

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 01 | January - March 2023

परिचय

ऋग्वैदिक काल में हम एक प्राचीन अवधारणा का पता लगाने में सक्षम हैं जो खाप पंचायत है। खाप पंचायत आम तौर पर सामाजिक राजनीतिक समूहों के अंतर्गत आती है, और खाप पंचायत के सदस्य उच्च जाति और जाट समुदाय के बड़े लोगों से होते हैं, जो उस क्षेत्र के भूगोल पर आधारित होते हैं या अधिकांश जातियां उस क्षेत्र में रहती हैं। क्षेत्र। खाप पंचायत के सदस्य कई गाँवों जैसे बड़े क्षेत्र को कवर करके अपनी शक्ति और स्थिति को मजबूत करते हैं, और अपने स्वयं के नियम निर्धारित करते हैं। आम तौर पर खाप पंचायतें सामाजिक संस्था के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उनकी कोई कानूनी स्थिति नहीं होती है, यानी ये संस्थाएं कानून द्वारा स्वीकृत और शासित नहीं होती हैं।

जब अनेक गाँव इकट्ठे होकर पारस्परिक **लेन-देन** का सम्बन्ध बना लेते हैं तथा एक दूसरे के साथ सुख-दुःख में साथ देने लगते हैं तब इन गांवों को मिलकर एक नया समुदाय जन्म लेता है जिसे जाटू भाषा में **गवाहंड** कहा जाता है। यदि कोई मसला गाँव-समाज से न सुलझे तब स्थानीय चौधरी अथवा प्रबुद्ध व्यक्ति गवाहंड को इकठ्ठा कर उनके सामने उस मसले को रखा जाता है। प्रचलित भाषा में इसे **गवाहंड पंचायत** कहा जाता है। गवाहंड पंचायत में सभी सम्बंधित लोगों से पूछ ताछ कर गहन विचार विमर्श के पश्चात समस्या का हल सुनाया जाता है जिसे सर्वसम्मति से मान लिया जाता है।[1]

जब कोई समस्या जन्म लेती है तो सर्व प्रथम सम्बंधित परिवार ही सुलझाने का प्रयास करता है। यदि परिवार के मुखिया का फैसला नहीं माना जाता है तो इस समस्या को समुदाय और ग्राम समाज की पंचायत में लाया जाता है। दोषी व्यक्ति द्वारा पंचायत फैसला नहीं माने जाने पर ग्राम पंचायत उसका हुक्का-पानी बंद करने, गाँव समाज निकला करने, लेन-देन पर रोक आदि का हुक्म करती है। यदि समस्या गोत्र से जुडी हो तो **गोत्र पंचायत** होती है जिसके माध्यम से दोषी को घेरा जाता है।

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 01 | January - March 2023

खाप व्यवस्था

खाप या सर्वखाप एक सामाजिक प्रशासन की पद्धति है जो भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों यथा राजस्थान, हरयाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। इसके अनुरूप अन्य प्रचलित संस्थाएं हैं पाल, गण, गणसंघ, जनपद अथवा गणतंत्र. समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाये रखने के लिए मनमर्जी से काम करने वालों अथवा असामाजिक कार्य करने वालों को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जावे तो स्थापित मान्यताये, विश्वास, परम्पराए और मर्यादाएं ख़त्म हो जावेंगी और जंगल राज स्थापित हो जायेगा. मनु ने समाज पर नियंत्रण के लिए एक व्यवस्था दी। इस व्यवस्था में परिवार के मुखिया को सर्वोच्च न्यायाधीश के रूप में स्वीकार किया गया है। जिसकी सहायता से प्रबुद्ध व्यक्तियों की एक पंचायत होती थी। जाट समाज में यह न्याय व्यवस्था आज भी प्रचालन में है। इसी अधर पर बाद में ग्राम पंचायत का जन्म हुआ।

जब अनेक गाँव इकट्ठे होकर पारस्परिक लें-दें का सम्बन्ध बना लेते हैं तथा एक दूसरे के साथ सुख-दुःख में साथ देने लगते हैं तब इन गांवों को मिलकर एक नया समुदाय जन्म लेता है जिसे जाटू भाषा में गवाहंड कहा जाता है। यदि कोई मसला गाँव-समाज से न सुलझे तब स्थानीय चौधरी अथवा प्रबुद्ध व्यक्ति गवाहंड को इकठ्ठा कर उनके सामने उस मसले को रखा जाता है। प्रचलित भाषा में इसे गवाहंड पंचायत कहा जाता है। गवाहंड पंचायत में सभी सम्बंधित लोगों से पूछ ताछ कर गहन विचार विमर्श के पश्चात समस्या का हल सुनाया जाता है जिसे सर्वसम्मति से मान लिया जाता है।

जब कोई समस्या जन्म लेती है तो सर्व प्रथम सम्बंधित परिवार ही सुलझाने का प्रयास करता है। यदि परिवार के मुखिया का फैसला नहीं माना जाता है तो इस समस्या को समुदाय और ग्राम समाज की पंचायत में लाया जाता है। दोषी व्यक्ति द्वारा पंचायत फैसला नहीं माने जाने पर ग्राम पंचायत उसका हुक्का-पानी बंद करने, गाँव समाज निकाला करने, लेन-देन पर रोक

आदि का हुक्म करती है। यदि समस्या गोत्र से जुडी हो तो गोत्र पंचायत होती है जिसके माध्यम से दोषी को घेरा जाता है।

सामाजिक न्याय व्यवस्था दोषी को एक नया जीवन देने का प्रयास करती है। लम्बे अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस सामाजिक न्याय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अनेक स्तर हैं। जब गोत्र और गवाहंड की पंचायतें भी किसी समस्या का निदान नहीं कर पाती तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों को इकठ्ठा करने का प्रयास किया जाता है जिसमें अनेक गवाहंडी क्षेत्र, अनेक गोत्रीय क्षेत्र और करीब-करीब सभी हिन्दू जातियों के संगठन शामिल होते हैं। इस विस्तृत क्षेत्र को खाप का नाम दिय जाता है। कहीं-कहीं इसे पाल के नाम से भी जाना जाता है। गवाहंडी का क्षेत्र ५-७ की। मी. तक अथवा पड़ौस के कुछ गिने चुने गावों तक ही सीमित होता है। जबकि पाल या खाप का क्षेत्र असीमित होता है। हर खाप के गाँव निश्चित होते हैं, जैसे बड़वासनी बारह के १२ गाँव, करारा सत्रह के १७ गाँव, चौहान खाप के ५ गाँव, तोमर खाप के ८४ गाँव, दहिया चालीसा के ४० गाँव, पालम खाप के ३६५ गाँव, मीतरोल खाप के २४ गाँव आदि।

खाप पंचायतों का 'सम्मान' के नाम पर फ़ैसला लेने का सिलसिला कितना पुराना है?

ऐसा चलन उत्तर भारत में ज़्यादा नज़र आता है. लेकिन ये कोई नई बात नहीं है. ये ख़ासे बहुत पुराने समय से चलता आया है....जैसे जैसे गाँव बसते गए वैसे-वैसे ऐसी रिवायतें बनतीं गई हैं. ये पारंपरिक पंचायतें हैं. ये मानना पड़ेगा कि हाल-फ़िलहाल में इज़्ज़त के लिए हत्या के मामले बहुत बढ़ गए है. **ये खाप पंचायतें हैं क्या? क्या इन्हें कोई आधिकारिक या प्रशासनिक स्वीकृति हासिल है?** रिवायती पंचायतें कई तरह की होती हैं. खाप पंचायतें भी पारंपरिक पंचायते है जो आजकल काफ़ी उग्र नज़र आ रही हैं. लेकिन इन्हें कोई आधिकारिक मान्यता प्राप्त नहीं है.

एक गोत्र या फिर बिरादरी के सभी गोत्र मिलकर खाप पंचायत बनाते हैं. ये फिर पाँच गाँवों की हो सकती है या 20-25 गाँवों की भी हो सकती है. मेहम बहुत बड़ी खाप पंचायत और ऐसी

और भी पंचायतें हैं. जो गोत्र जिस इलाक़े में ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसी का उस खाप पंचायत में ज़्यादा दबदबा होता है. कम जनसंख्या वाले गोत्र भी पंचायत में शामिल होते हैं लेकिन प्रभावशाली गोत्र की ही खाप पंचायत में चलती है. सभी गाँव निवासियों को बैठक में बुलाया जाता है, चाहे वे आएँ या न आएँ...और जो भी फ़ैसला लिया जाता है उसे सर्वसम्मति से लिया गया फ़ैसला बताया जाता है और ये सभी पर बाध्य होता है.

सबसे पहली खाप पंचायतें जाटों की थीं. विशेष तौर पर पंजाब-हरियाणा के देहाती इलाक़ों में जाटों के पास भूमि है, प्रशासन और राजनीति में इनका ख़ासा प्रभाव है, जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है... इन राज्यों में ये प्रभावशाली जाति है और इसीलिए इनका दबदबा भी है.

हाल-फ़िलहाल में खाप पंचायतों का प्रभाव और महत्व घटा है, क्योंकि ये तो पारंपरिक पंचायते हैं और संविधान के मुताबिक अब तो निर्वाचित पंचायतें आ गई हैं. खाप पंचायत का नेतृत्व गाँव के बुज़ुर्गों और प्रभावशाली लोगों के पास होता है

खाप पंचायत सतयुग से कलयुग तक

“खाप पंचायत” ये नाम तो अब लगभग सभी सुन चुके होंगे ! पिछले कुछ दिनों से ये काफी चर्चा में है और इनके चर्चा में होने का कारण है इनके जारी किये गए अनोखे फरमान, जिन्हें लोगो द्वारा तुगलकी फरमान कि संज्ञा दी गई ! खाप पंचायतो का इतिहास बहुत पुराना है और ये महाभारत काल से लेकर रामायण काल और उसके बाद मुग़ल शासन का सफ़र करते हुए अब इस इकिस्वी सदी (कलयुग) के समाज में अपने वजूद के साथ आज भी कायम है ! कहा जाता है कि जब “राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को ना बुलाकर उनका अपमान किया गया तब पार्वती जी ये अपमान सह ना पाई और उन्होंने यज्ञ के हवन कुंड कि अग्नि में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे, जब शिवजी को ये पता लगा तो बहुत क्रोधित हुए और तब उन्होंने वीरभद्र को ये आज्ञा दी कि वो अपनी गन सेना के साथ जा कर राजा दक्ष का यज्ञ

नष्ट करके उसका सर काट दे"! खाप पंचायतो कि ये सबसे पुरानी घटना मानी जाती है! रामायण काल में भी इन खाप पंचायतो का उल्लेख मिलता है, कहा जाता है कि हनुमान जी कि वानर सेना वास्तव में एक सर्व खाप पंचायत ही थी जिसमे भील, कोल, वानर, रीच, जटायु, रघुवंशी आदि विभिन्न जातियों तथा खापो के लोग सम्मिलित थे लेकिन क्योकि इसमें वानर अधिक थे इसलिए इन्हें वानर सेना कहा गया! इस सेना के अध्यक्षता महाराजा सुग्रीव ने कि थी और इनके सलाहकार थे वीर जामवंत!

समय के चक्र के साथ काल बदलते गए युग बदलते गए लेकिन ये खाप पंचायते हर युग में देखने को मिलती रही! सतयुग से लेकर मुग़ल शासन और उसके बाद अंग्रेजो के शासन काल तक इन खाप पंचायतो के वजूद को कोई हिला ना सका! मुग़ल काल में समाज को एक स्वस्थ वातावरण देने के लिए इन पंचायतो का सहारा लिया जाने लगा क्योकि उस समय हर व्यक्ति से राजा निजी तौर पर मिल कर समस्या हल नहीं कर सकते थे इसलिए ये खाप पंचायते ज़रूरी हो गई! ये तब एक तरह कि प्रशासन पद्दति के रूप में काम करने लगी और गाँव तथा प्रान्तों के छोटे बड़े फैसले यही पंचायते करने लगी इसके बदले इन्हें राजाओं से ऊँचे ओहदे तथा अन्य भेट मिलने लगी! इनके द्वारा लिए गए हर फैसले को इनके अधीन आने वाले सभी गाँव तथा प्रान्तों को मानना ज़रूरी था!

लेकिन भारत कि आज़ादी के बाद से इन खाप पंचायतो कि ताकतों को देश के राजनीतिज्ञों ने भली भांति भाप लिया! और तब ये राजनीतिज्ञ इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि पंचो द्वारा लिया गया कोई भी फैसला गाँव के हर व्यक्ति के लिए किसी पत्थर की लकीर के समान ही था और उस लकीर को मिटाने की हिम्मत किसी में भी ना थी और यही वजह रही की राजनीतिज्ञों द्वारा इन खाप पंचायतो का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को बढाने के लिए किया जाने लगा और यही से ये खाप पंचायते सियासी रूप लेने लगी जिनका लाभ राजनेताओ ने जम कर उठाया!

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 01 | January - March 2023

सामाजिक न्याय व्यवस्था

दोषी को एक नया जीवन देने का प्रयास करती है। लम्बे अनुभव के आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस सामाजिक न्याय व्यवस्था को जन्म दिया है जिसके अनेक स्तर हैं। जब गोत्र और गवाहंड की पंचायतें भी किसी समस्या का निदान नहीं कर पाती तो एक बड़े क्षेत्र के लोगों को इकठ्ठा करने का प्रयास किया जाता है जिसमें अनेक गवाहंडी क्षेत्र, अनेक गोत्रीय क्षेत्र और करीब-करीब सभी हिन्दू जातियों के संगठन शामिल होते हैं। इस विस्तृत क्षेत्र को **खाप** का नाम दिय जाता है। कहीं-कहीं इसे **पाल** के नाम से भी जाना जाता है। गवाहंडी का क्षेत्र ५-७ कि .मी. तक अथवा पड़ौस के कुछ गिने चुने गावों तक ही सीमित होता है। जबकि **पाल** या **खाप** का **क्षेत्र असीमित** होता है। हर खाप के गाँव निश्चित होते हैं, जैसे बड़वासनी बारह के १२ गाँव, कराला सत्रह के १७ गाँव, चौहान खाप के ५ गाँव, तोमर खाप के ८४ गाँव, दहिया चालीसा के ४० गाँव, पालम खाप के ३६५ गाँव, मीतरोल खाप के २४ गाँव आदि।

सर्वखाप पंचायत

सर्वखाप पंचायत जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था है। इसमें सभी ज्ञात पाल, खाप भाग लेती हैं। जब जाति, समाज, राष्ट्र अथवा जातिगत संस्कारों, परम्पराओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है अथवा किसी समस्या का समाधान किसी अन्य संगठन द्वारा नहीं होता तब सर्वखाप पंचायत का आयोजन किया जाता है जिसके फैसलों का मानना और दिशा निर्देशानुसार कार्य करना जरुरी होता है। सर्वखाप व्यवस्था उतनी ही पुराणी है जितने की स्वयं जाट जाति। समय-समय पर इसका आकर, कार्यशैली और आयोजन परिस्थितियां तो अवश्य बदलती रही हैं परन्तु इस व्यवस्था को आतताई मुस्लिम, अंग्रेज और लोकतान्त्रिक प्रणाली भी समाप्त नहीं कर सकी।

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 09 , Issue : 01 | January - March 2023

'प्राचीन काल के गणराज्यों की संचालन व्यवस्था सर्वखाप पद्धति पर आधारित थी। शिवाजी के आव्हान पर की पंचायती सेना ने राजा दक्ष का सर काट डाला था। महाराजा शिव की राजधानी कनखल (हरिद्वार) में थी। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया था जिसमें शिव को छोड़कर सभी राजाओं को बुलाया था। पार्वती बिना बुलाये ही वहां पहुंची. वहां पर शिव का अपमान किया गया। यह अपमान पार्वती से सहन नहीं हुआ और वह हवनकुंड में कूद कर सती हो गई। शिव को जब पता लगा तो बहुत क्रोधित हुए। शिव ने वीरभद्र को बुलाया और कहा कि मेरी गण सेना का नेतृत्व करो और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र शिव के गणों के साथ गए और यज्ञ को नष्ट कर दक्ष का सर काट डाला। सर्व खाप पंचायत और उसके गणों की यह सबसे पुरानी घटना है। रामायण काल में इतिहासकार जिसे वानर सेना कहते हैं वह सर्वखाप की पंचायत सेना ही थी जिसका नेतृत्व वीर हनुमान ने किया था और जिसका प्रमुख सलाहकार जामवंत नामक वीर था। राम और लक्ष्मन की व्यथा सुनकर हनुमान और सुग्रीव ने सर्व खाप पंचायत बुलाई थी जिसमें लंका पर चढाई करने का फैसला किया गया। उस सर्व खाप में तत्कालीन भील, कोल, किरात, वानर, रीछ, बल, रघुवंशी, सेन, जटायु आदि विभिन्न जातियों और खापों ने भाग लिया था। वानरों की बहुतायत के कारण यह वानर सेना कहलाई। इस पंचायत की अध्यक्षता महाराजा सुग्रीव ने की थी।

महाभारत काल में सर्वखाप पंचायत ने धर्म का साथ दिया था। महाभारत काल में तत्कालीन पंचायतो या गणों के प्रमुख के पद पर महाराज श्रीकृष्ण थे। श्रीकृष्ण ने कई बार पंचायतें की। युद्ध रोकने के लिए सर्व खाप पंचायत की और से संजय को कौरवों के पास भेजा, स्वयं भी पंचायत फैसले के अनुसार केवल ५ गाँव देने हेतु मनाने के लिए हस्तिनापुर कौरवों के पास गए। शकुनी, कर्ण और दुर्योधन ने पंचायत के फैसले को ताक पर रख कर ऐलान किया कि सुई की नोंक के बराबर भी जगह नहीं दी जायेगी। इसी का अंत हुआ महाभारत युद्ध के रूप में. महाभारत के भयंकर परिणाम निकले। सामाजिक सरंचना छिन्न-भिन्न हो गई। राज्य करने के लिए क्षत्रिय नहीं बचे। महाभारत काल में भारत में अराजकता का व्यापक प्रभाव था। यह चर्म सीमा को लाँघ चुका था। उत्तरी भारत में साम्राज्यवादी शासकों ने प्रजा को असहय विपदा में डाल रखा था। इस स्थिति को देखकर कृष्ण ने अग्रज बलराम की सहायता से कंस को समाप्त कट उग्रसेन को मथुरा का शासक नियुक्त किया। कृष्ण ने साम्राज्यवादी शासकों से संघर्ष करने हेतु एक संघ का निर्माण किया। उस समय यादवों के अनेक कुल थे किंतु सर्व प्रथम उन्होंने अन्धक, भोज और वृष्नी कुलों का ही संघ बनाया। संघ के सदस्य आपस में सम्बन्धी होते थे इसी कारण उस संघ का नाम 'ज्ञाति-संघ' रखा गया। यह संघ व्यक्ति प्रधान नहीं था। इसमें शामिल होते ही किसी राजकुल का पूर्व नाम आदि सब समाप्त हो जाते थे। वह केवल ज्ञाति के नाम से ही जाना जाता था। प्राचीन ग्रंथो के अध्ययन से यह बात साफ हो जाती है कि परिस्थिति और भाषा के बदलते रूप के कारण 'ज्ञात' शब्द ने 'जाट' शब्द का रूप धारण कर लिया। ठाकुर देशराज लिखते हैं कि महाभारत काल में गण का प्रयोग संघ के रूप में किया गया है। बुद्ध के समय भारतवर्ष में ११६ प्रजातंत्र थे। गणों के सम्बन्ध में महाभारत के शांति पर्व के अध्याय १०८ में विस्तार से दिया गया है। इसमें युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि गणों के सम्बन्ध में आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वे किस तरह वर्धित होते हैं, किस प्रकार शत्रु की भेद-नीति से बचते हैं, शत्रुओं पर किस तरह विजय प्राप्त करते हैं, किस

तरह मित्र बनाते हैं, किस तरह गुप्त मंत्रों को छुपाते हैं। इससे यह स्पस्ट होता है कि महाभारत काल के गण और संघ वस्तुतः वर्त्तमान खाप और सर्वखाप के ही रूप थे।

निष्कर्ष

खाप पंचायत शब्द, वह शब्द है जो सभी खापों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें 10 या 15 सदस्य जो उच्च जाति से हैं और जाट समुदाय से हैं जो पुराने रीति-रिवाजों और परंपराओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। आम तौर पर ये खाप पंचायत के लोग हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में फिर से संशोधन चाहते हैं, जो एक ही गोत्र या यहां तक कि अलग-अलग गोत्र में लेकिन एक ही गांव में विवाह की अनुमति देता है। क्योंकि वे सोचते हैं कि एक ही गोत्र के लड़के-लड़की या अलग-अलग गोत्र के लेकिन एक ही गांव में भाई-बहन का रिश्ता होता है, इसलिए उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। खाप पंचायत का अस्तित्व महिलाओं के लिए अधिक पीड़ादायक है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज के कारण लोग हमेशा उन्हें पुरुषों के बजाय डिफाल्टर मानते थे। दुर्लभ परिस्थितियों में पुरुष भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। आजकल खाप पंचायत ऑनर किलिंग, जबरन शादी आदि जैसे गंदे रूपों में परिवर्तित हो जाती है। यह हमारे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि राजनीतिक दल भी चुनाव में वोट बैंक लाभ के लिए खाप पंचायत का समर्थन कर रहे हैं। खाप पंचायत भी सक्रिय है इसलिए इन खाप पंचायतों की कोई कानूनी स्थिति नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इन खाप पंचायतों को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। नैतिक दृष्टि से यह सही नहीं है कि हर बार लक्ष्य केवल एक महिला हो और हमेशा महिला पक्ष पर प्रतिबंध न लगाया जाए और महिलाओं के ड्रेस कोड और उनकी जीवन शैली पर कोई बाध्यता न हो, यह शुद्ध होना चाहिए भारत में सभी को न्याय।

संदर्भ

1. Hindustan Times

2. ^ क्या है खाप पंचायत, क्यों है उसका दबदबा?, Atul Sagar, BBC 5 August 2009
3. ^ *Saini, Manveer (21 April 2014). "Haryana's biggest khap panchayat scripts history, allows inter-caste marriages". The Times of India.*
4. ^ *Pradhan, M. C. (18 December 1965). "The Jats of Northern India Their Traditional Political System – II" (PDF). Economic and Political Weekly.*
5. ^ खाप पंचायतों का हृदय परिवर्तन! अंजलि सिन्हा, Sahara Samay, 26 Apr 2014 *samaylive.com*.
6. ^ Jump up to:[a] [b] [c] [d] *Kaur, Ravinder (5 June 2010). "Khap panchayats, sex ratio and female agency | Ravinder Kaur". Academia.edu. Retrieved 31 March 2013.*
7. ^ *"Muzaffarnagar riots: A Jat family protected 70 Muslims in Fugna village". India Today. 14 September 2013.*
8. ^ *Deswal, Deepender (7 March 2011). "Haryana's Dahiya khap, a body representing people of Jat community in Sonipat district, is organising a meeting to mark centenary celebrations in Sisana village on Monday". The Times of India. Retrieved 5 June 2021.*
9. ^ *"चौटाला परिवार को जोड़ने में दो खेमों में बटी दहिया खाप". Dainik Bhaskar (in Hindi).*